

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 31/2017

बउनवान

श्रीलाल पुत्र रामप्रताप जाति-मीणा निवासी-भडसुई
तहसील व जिला-बारां (राज०)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पॉडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

स्थिति :-1. श्री ओम भारद्वाज, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पॉडेंट)

निर्णय दिनांक-09.05.2018



अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के दिनांक 05.10.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-भडसुई, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 0.64 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 320/-रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मकान, बगीचा व टयूबवेल बताकर, पश्चात्पूर्ती मानकर सजायाब किया गया है। जबकि अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। उक्त आराजी पर समस्त ग्रामवासियान् द्वारा एक बाग विकसित किया गया है जिसका उपयोग उपभोग समस्त ग्रामवासियान् द्वारा किया जाता है, उक्त आराजी पर जिसपर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया है, उससे अपीलांट कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों व आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पॉडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व सुनवाई का कोई अवसर नहीं देकर, अपीलांट को पश्चात्पूर्ती अतिक्रमी मानकर,

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं रहा है। उक्त आराजी को ग्रामवासियान् द्वारा सार्वजनिक हित में ट्यूबवेल लगाकर, बगीचे के रूप में तैयार किया गया है। अपीलांट का उक्त आराजी से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट गांव का मौजीद व्यक्ति होने से हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों को आधार पर, अपीलांट के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की गयी है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया गया है। वर्तमान में उक्त आराजी को ग्रामवासियान् द्वारा अपने अधिकार से छोड़कर, ग्राम पंचायत लिसाडिया को सम्भला दी गयी है। वर्तमान में उक्त आराजी ग्राम पंचायत के ही अधीन है, किसी भी व्यक्ति का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तहकीकात किये अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया है जो प्रथमतः ही निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.10.2016 निरस्त फरमाया जावे।


इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1171/15 निर्णय दिनांक 08.10.2015 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है, जिसपर अपीलांट द्वारा बगीचा, ट्यूबवेल लगातार अतिचार कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1171/15 निर्णय दिनांक 8.10.2015 से बेदखल किया जाना भी प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही बेदखल व सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 673/16 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।




(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राब०)